He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2014/पौष 30, 1935

No. 144]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2014/PAUSA 30, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.आ. 149 (अ).—शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 25 सितम्बर, 2013 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 2890 (अ) में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र अधिसूचित किया जाता है।

दिनांक 23-9-2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2890 (अ) की तालिक़ा 13.7 के क्रम सं. 2 पर "जिला न्यायालय" शब्द को "जिला खेल परिसर" पढा जाए।

मुख्य अधिसूचना दिनांक 25-9-2013 के का. आ. 2890 (अ) के द्वारा अधिसूचित की गई थी ।

> [फा. सं. के-12011/9/2012-डीडी-1] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 149 (E).— The following corrigenda is notified in Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 2890 (E) dated 25th September, 2013:

The word "District Court" at S.No. 2 of Table 13.7 in Notification S.O. No. 2890 (E) dated 23.9.2013 shall be read as "District Sports Complex",

The principal Notification was notified vide S.O. 2890 (E) dated 25-9-2013.

[F. No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.